न्यायालयः— उपखंड अधिकारी निम्बाहेडा
पीठासीन अधिकारी :— चन्द्रशेखर भण्डारी (R.A.S.)

प्रकरण संख्या 85 / 2021 प्रार्थना पत्र

मांगीबाई पत्नि मोहनलालजी जाति धाकड आयु वयस्क निवासी खेडाजदीद तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0

——प्रार्थीया

बनाम

1. श्रीमति रेखा पत्नि ललीत कुमार जाति खटीक आयु वयस्क निवासी निम्बाहेडा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0
2. श्रीमति शोभा बाई पत्नि रमेश चन्द्र जी जाति खटीक आयु वयस्क निवासी निम्बाहेडा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0
3. भूमिधारी तहसीलदार साहब निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0

——विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र 251 ए राज0 काश्त0 एक्ट

उपस्थित :— 1— नरेन्द्र वैष्णव — अधिवक्ता प्रार्थीया
2— योगेश सोलंकी — अधिवक्ता विपक्षी नं0 1 व 2
3— पेरोकार सरकार — अधिवक्ता विपक्षी नं0 3

::निर्णय:: दिनांक 31.05.2022

संक्षिप्त प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251ए राज0 काश्त0 एक्ट का पेश कर निवेदन किया कि—

कि प्रार्थीया के खातेदारी कब्जे काश्त की आराजीयात वाके मौजा मण्डा गुलफरोशान पटवार हल्का रानीखेडा तह0 निम्बाहेडा की खाता संख्या 448 की आराजी नं0 1402 / 963 रकबा 0.5100 हैक्टेयर लगानी 9 रुपये 69 पैसा स्थित स्थित है।

यह कि वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थीया की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की चली आ रही है प्रार्थीया की आराजीयात पर आने जाने का एक मात्र कदीमी रास्ता जो वाके मौजा मण्डा गुलफरोशा प0 ह0 रानीखेडा तह0 निम्याहेडा की प्रार्थीया की खातेदारी व कब्जे

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)

की आराजी नं0 1402/963 पर आने का एक मात्र रास्ता जो मण्डा गुलफरोशन से अमीन पुरा जाने वाले उत्तर से दक्षिण आम रास्ते से से पश्चिम की ओर मुड कर विपक्षीगण की खातेदारी की आराजी नं0 969 की उत्तरी मेड पर पूर्व से पश्चिम करीब 8 फीट चौडा व करीब 450 फीट लंबा कदीमी रास्ता प्रार्थीया की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात पर आता जाता है जो मौके पर 8 फीट चौडा चला आ रहा है और उक्त रास्ते से प्रार्थीया अपनी आराजीयात पर कदीम से हल बैल गाडी ट्रेक्टर आदि लाती ले जाती चली आ रही है । उक्त कदिमी रास्ता जब से प्रार्थीया को जाना पडता है जब से वादीया उक्त आराजीयता पर काबिज है तब से करीब 50 वर्षो से अधिक समय से कदिम से वादीया इसी एक मात्र कदिमी रास्ते का उपयोग उपभोग करती चली आ रही है उक्त रास्ते से पूर्व खातेदार भी उक्त आराजीयता पर 100 वर्शो से अधिक समय से आते जाते चले आ रहे थे, और प्रार्थीया भी इसी एक मात्र कदीमी रास्ते से आती जाती चली आ रही हैं उक्त कदिमी रास्ते के अलावा मौक पर अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता प्रार्थीया की आराजीयात पर आने जाने हेतु मौके पर मौजुद नही है विपक्षीगण प्रार्थीया के उक्त कदीमी रास्ते में जबरन अवरोध पैदा कर प्रार्थीया के रास्ते को हांक कर खाई खोदकर रास्ते को बंद करने पर आमदा है तथा प्रार्थीया के उक्त कदीमी रास्ते में पत्थर गड्डे आदि खोदकर रास्ते के स्वरुप में परिवर्तन करने पर आमादा है व बंद करने पर आमदा है तथा प्रार्थीया व गांव के मौतबिर व्यक्तियों द्वारा समझाने बुझाने पर भी नही मान रहे है तथा विपक्षीगण प्रार्थीया को मौके पर आये दिन लडाई झगडा करते है तथा आने जाने मे अवरोध पैदा करते है, और प्रार्थीया व गांव के मौतवीर व्यक्तियों द्वारा समझाने बुझाने पर भी नही मान रहे है। जवकि उक्त 8 फीट चौडा गाडी गडार रास्ता प्रार्थीया का कदीमी रास्ता है जिसका उपयोग उपभोग प्रार्थीया कदीम से बिना किसी वाधा के करती चली आ रही है।

यह कि प्रार्थीया ने विपक्षीगण को उक्त कदीमी रास्ता जो 8 फिट चौडा है उक्त रास्ते की भूमि की डि.एल.सी.रेट के अनुसार जो भी रकम वनती है वह रकम प्रार्थीया विपक्षीगण को देने के लिए तैयार है परन्तु वह उक्त रकम नही ले रहे है। विपक्षीगण दिगर लोगो के सिखावे मे आकर जबरन उक्त कदिमी रास्ते को बंद करना चाहता है और रास्ते मे अवरोध पैदा करना चाहता है प्रार्थीया का उक्त रास्ता एक मात्र कदिमी रास्ता है। उक्त रास्ते को बंद कर देने की सुरत मे

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)

प्रार्थीया का अपनी आराजीयात पर आने जाने का उक्त एक मात्र रास्ता बंद हो जाने पर प्रार्थीया की आराजीयात पडत पडी रह जावेगी, और प्रार्थीया की भूमि को हर सुरत मे पडत रखवाने पर विपक्षीगण आमादा है, जिससे प्रार्थीया को अपूर्णीय क्षति होगी इसलिए प्रार्थीया विपक्षीगण द्वारा उक्त रास्ते की भूमि की किमत डि.एल.सी.रेट से नही लेने से प्रार्थीया उक्त राशि माननीय न्यायालय के आदेशानुसार माननीय न्यायालय में जमा करा कर राजस्व रेकार्ड में व नक्षे में उक्त रास्ते को दर्ज कराने के अधिकारी है, तथा प्रार्थीया की आराजीयात पर आने जाने का एक मात्र कदीमी रास्ते को बदस्तुर कायम रखने की अधिकारी है और प्रार्थीया उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग करने के अधिकारी हैं।

इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रार्थीया ने पेश किया, प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया गया, विपक्षीगण को जरिये सूचना पत्र तलब किया गया, विपक्षी नं0 1 व 2 की ओर से इकबाली जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया तथा विपक्षी नं0 3 तहसीलदार द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र मय मौका रिपोर्ट पेश किया गया और साथ में पटवारी हल्का रानीखेडा की मौका रिपोर्ट संलग्न कर पेश की तथा तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा अपने जवाब में वाके मौजा मड्डागुलफरोशन मे प्रार्थीया मांगीबाई द्वारा आराजी नं0 1402/963 रकबा 0.5100 हे0 प्रार्थीया के नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज है एवं खाता संख्या 367 में आराजी नं0 969 रकबा 0.6400 हे0 श्री रेखाबाई पत्नि ललीत कुमार 1/2, शोभाबाई पत्नी रमेश चन्द्र 1/2 निम्बाहेडा के नाम दर्ज रेकार्ड हैं।

यह कि मौजा मण्डा गुलफरोशन में आराजी नं0 978 रकबा 0.1600 हेक्टेयर गे0मु0बिलानाम रास्ता दर्ज रिकार्ड है जो राजस्व नक्शा ट्रेस में अंकित होकर मौके पर आने जाने हेतु रास्ता चालु होकर ग्राम मण्ड्गुलफरोशन से अमीनपुरा जाने हेतु मौके पर मौजुद हैं और इसी रास्ते से लगी हुई आराजी नं0 969 की उत्तरी दिशा में खातेदारी आराजीयात में से होकर आगे श्रीमति मांगीबाई पत्नि मोहनलालजी धाकड की आराजी नं0 1402/963 में जाने हेतु मौके पर रास्ता बना हुआ है और यही रास्ते का उपयोग कर वादीया अपने खेत में आती जाती रहती हैं। आराजी नं0 969 रकबा 2.6400हे0 खातेदारी आराजीयात में से उत्तरी दिशा में लगभग 2.5 मीटर चौडाई x 162 मीटर लम्बाई का रास्ता है जो की 400वर्गमीटर लगभग (0.0400हे0)

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा (चित्तौडगढ)

भूमि रास्ते के उपयोग में आती हैं उसमे से होकर प्रार्थीया अपनी आराजी पर पहूंचती हैं। आराजी नं0 969 के खातेदार श्रीमति रेखाबाई पत्नि ललीत कुमार 1/2, शोभाबाई पत्नी रमेशचन्द्र 1/2 जाति खटीक निवासी निम्बाहेडा के द्वारा अपनी आराजी में उपरोक्तानुसार रास्ता दर्ज करने बाबत अपनी सहमति दी गई हैं एवं मौके पर उपस्थित होकर अपनी सहमति स्वरुप हस्ताक्षर किये गये है एवं संलग्न राजस्व नक्षे में प्रस्तावित किया हैं। इस रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही हैं।

दोनो पक्षो के अभिवचनो के आधार पर बहस उभयपक्ष सूनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थीया द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित अनुसार और तहसीलदार निम्बाहेडा के जवाब व पटवारी हल्का रानीखेडा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं प्रस्तावित राजस्व नक्षा अनुसार वाके मौजा मण्डा गुलफरोशन में आराजी नं0 978 रकबा 0.1600 हेक्टेयर गे0मु0बिलानाम रास्ता से लगी हुई आराजी नं0 969 रकबा 2.6400हे0 में से उत्तरी दिशा में लगभग 2.5 मीटर चौडाई X 162 मीटर लम्बाई का रास्ता है जो की 400वर्गमीटर लगभग (0. 0400हे0) भूमि रास्ते के उपयोग में आती हैं जिसका प्रस्तावित संलग्न नक्षा अनुसार बिलानाम रास्ते के रुप मे दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता हैं।

इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड एवं नवीन नक्षा ट्रेस में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 31.5.22 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर होकर नम्बर से कम हो दाखील दफ्तर हो।

मोहर

चन्द्रशेखर भण्डारी (R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा